दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शनिवार 12 अगस्त 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 315

महत्वपूर्ण एवं खास

भारत-पाक सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने मार गिराया पाकिस्तान तस्कर

चंडीगढ़ (आरएनएस)। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने शुक्रवार को पंजाब के तरनतारन में सीमा पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया और घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। सीमा सुरक्षा बल ने अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार सुबह अंतरराष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध गतिविधियां देखने पर बीएसएफ जवानों ने घुसपैठिए को चुनौती दी, लेकिन वह नहीं रुका और आगे बढ़ता रहा। अधिकारी ने बताया कि खतरे को भांपते हुए कर्मियों ने गोली चला दी, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

तीन दोपहिया वाहनों को बेकाबू टिप्पर लॉरी ने रौंदा, 6 लोगों की दर्दनाक मौत

चेन्नई (आरएनएस)। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में शुक्रवार को एक रोड एक्सीडेंट में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह दुर्घटना तब हुई जब एक टिप्पर लॉरी चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी। लॉरी तेज़ रफ़्तार में थी और तीन दोपहिया वाहनों पर सवार छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टिपर लॉरी ने पैदल यात्रियों को भी टक्कर मार दी जिसमें नौ लोग घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीन की हालत गंभीर है। चेंगलपट्टू में पुलिस सूत्रों ने बताया कि दुर्घटना का कारण बनी लॉरी का चालक फरार है और उसकी तलाश की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट के 9 जजों के तबादले की सिफारिश की

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन हाईकोर्ट के 9 जजों का तबादला करने की सिफारिश की है.इनमें गुजरात और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चार-चार जज हैं. कॉलेजियम ने गुजरात हाईकोर्ट में जिन चार जजों का तबादला करने की सिफारिश केंद्र सरकार से की है, उनमें जस्टिस हेमंत एम प्रचछक भी शामिल हैं. उन्होंने राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था उनके अलावा जस्टिस गीता गोपी ने भी राहुल गांधी के मोदी मानहानि मामले की सुनवाई से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि मेरे सामने मत सूचीबद्ध करें. इस तरह देखा जाए तो राहुल गांधी के मुकदमे से जुड़े दो जज तबादला सूची में हैं. जस्टिस गोपी को गुजरात से मद्रास और जस्टिस प्रच्छक को पटना हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश है. वहीं, जस्टिस समीर जे दवे का तबादला राजस्थान हाईकोर्ट में करने को सिफारिश की गई है. जस्टिस दवे ने तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था .इनके अलावा चौथे जज अल्पेश वाई कोगजे को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश है.

शरणार्थियों को लेकर जा रही नाव समुद्र में डूबी, 17 लोगों की मौत

यागून। म्यांमार के रखाइन राज्य से रोहिंग्या शरणार्थियों को ले जा रही एक नाव समुद्र में डूबने से करीब 17 प्रवासियों की मौत हो गई और कई लापता हो गए। बचाव दल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सितवे शहर में श्वे यांग मेट्टा फाउंडेशन के एक बचावकर्मी ब्यार ला ने कहा कि इस सप्ताह बीती रात एक नाव समुद्र में डूब गयी, जिस पर 50 से अधिक लोग सवार थे। उन्होंने कहा, हमें कल तक 17 शव मिले हैं। बचावकर्मी ब्यार ला ने कहा, हमें आठ व्यक्ति जीवित मिले। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए ले गई है। उन्होंने कहा कि बचावकर्मी अभी भी लापता लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि जहाज पर सटीक संख्या ज्ञात नहीं है। बंगलादेश की सीमा पर मॉन्गडॉ टाउनशिप में एक रोहिंग्या सहायता कार्यकर्ता ने कहा कि खराब मौसम की वजह से नाव डूब गयी। इस हादसे के बाद करीब 500 अन्य लोग अभी भी मलेशिया जाने की उम्मीद कर रहे हैं।

चीन के हेबेई में वर्षा जनित आपदाओं में 29 लोगों की मौत, 16 लापता

शिजियाझुआंग। चीन के हेबेई प्रांत में हाल ही में वर्षा जनित आपदाओं से 29 लोगों की मौत हो गई हैं और 16 लोग लापता हैं। स्थानीय अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि हेबेई प्रांत में भारी बारिश के कारण आपदाओं से 29 लोगों की मौत हो चुकी है तथा 16 लोग लापता है। उन्होंने बताया कि बारिश के कारण लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2023

उच्च व्यावसायिक संस्थान में प्रवेश के समय विद्यार्थियों को मिलेगी अधिकतम 50 हजार रूपए वार्षिक एकमुश्त राशि

- चयन में प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक को प्राथमिकता
- मेरिट सूची में नक्सल हिंसा से हुए अनाथ बच्चे, अन्य अनाथ बच्चे, विधवा के बच्चे, विकलांग बच्चों को प्राथमिकता
- आवेदनों का राज्य स्तरीय समिति करेगी परीक्षण

रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना वर्ष-2023 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह योजना आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनएलयू जैसे उच्च शिक्षा व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले निम्न आय वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों के प्रवेश को सुगम बनाने और उन्हें तात्कालिक सहायता देने के लिए शुरू की जा रही है।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना में योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभावान निम्न आय वर्ग के विद्यार्थी जो उच्च व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयन उपरांत इन संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक तैयारियों यथा-यात्रा व्यय, कपडे, आवास, भोजन, तात्कालिक फीस, दवाई आदि जैसे आवश्यक कार्यों के लिए राशि उपलब्ध नहीं होने से छात्र इन उच्च संस्थानों में प्रवेश से वंचित होने वालो को सहायता हेतु राशि प्रदान करना है।

योजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रबंध संस्थान, भारतीय विधि संस्थान जैसे संस्थानों के अलावा ऐसे सभी व्यवसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाले शैक्षणिक संस्थान जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर के घोषित हो, नीट प्रवेश परीक्षा के माध्यम से, एमबीबीएस पाठ्यक्रम हेतु शासकीय संस्थान, जेईई प्रवेश परीक्षा के माध्यम से बी-टेक पाठ्यक्रम हेतु शासकीय एनआईटी, ट्रीपलआईटी संस्थान को शामिल किया गया है।

योजना में छात्रवृत्ति की राशि एकमुश्त होगी जो संस्थान में प्रवेश के समय विद्यार्थी की आवश्यकता के आधार पर प्रदान की जायेगी। यह राशि अधिकतम पचास हजार रूपये तक वार्षिक होगी। विद्यार्थी का संस्थान में प्रवेश उपरांत समस्त वैध व्यय का देयक प्रमाणित कर विभागाध्यक्ष कार्यालय को संस्थान में प्रवेश के एक माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा। छात्रवृत्ति की राशि का दुरूपयोग करने या गलत जानकारी देने पर यह राशि विद्यार्थी एवं पालक से वसूली जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर अन्य विधिक कार्यवाही भी की जाएगी।

पात्रता की शर्तें- विद्यार्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिये। विद्यार्थी को छत्तीसगढ़ राज्य हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल होना चाहिये। विद्यार्थी को उपरोक्त अनुसार उल्लेखित संस्थान में चयन की पात्रता के साथ ही चयनित होने का प्रमाण-पत्र एवं प्रवेश लेने हेतु संस्था द्वारा जारी सूचना पत्र होना चाहिये।

आय सीमा- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पालक की वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख रूपए से अधिक नहीं होना चाहिये। शासकीय सेवकों के आश्रित इस योजना के पात्र नहीं होगें किन्तु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बच्चे इस योजना का लाभ ले सकेंगे।

चयन की प्रक्रिया- योजना का लाभ लेने हेतु विद्यार्थी को योजना के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। आवेदनों का परीक्षण इस हेतु गठित समिति द्वारा किया जायेगा। आवेदनों की संख्या अधिक होने पर राष्ट्रीय संस्थानों के महत्ता को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति की संख्या निर्धारित की जायेगी। समान प्रकृति के संस्थानों हेतु छात्रवृत्ति हेतु चयन के लिए प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक को प्राथमिकता देते हुए चयन की कार्यवाही की जायेगी तथा समान अंक की स्थिति में कक्षा 12वीं के प्राप्तांक के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी। मेरिट सूची पश्चात् नक्सल हिंसा से हुए अनाथ बच्चे, अन्य अनाथ बच्चे, विधवा के बच्चे, विकलांग बच्चों को इसी क्रम में प्राथमिकता देते हुए सूची तैयार की जायेगी।

आवेदनों के परीक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति- प्राप्त आवेदनों का राज्य स्तरीय समिति के द्वारा परीक्षण किया जायेगा। इस समिति में आयुक्त/संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग अध्यक्ष होंगे तथा आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, संचालक, तकनीकी शिक्षा विभाग, वित्त अधिकारी, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग सदस्य होंगे। योजना प्रभारी अधिकारी सदस्य सचिव पर समिति का दायित्व होगा कि योजना के प्रावधान अनुसार आवेदन पत्रों का परीक्षण के बाद पात्रता का निर्धारण कर बजट सीमा के अंतर्गत अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेगी।

छत्तीसगढ़ में रचा गया नया इतिहास, लाखों लोगों ने एक साथ गाया वंदे मातरम

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। मंडली शिवशक्ति अवतार सेवा संस्थान और वसुधैव कुटुंबकम फाउंडेशन द्वारा आयोजित-मिशन 1 लाख वंदे मातरम कार्यक्रम में लाखों की संख्या में पहुंचे लोगों ने जब एक साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया तो नजारा देखने लायक था।

राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में लगभग 2 लाख लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाकर छत्तीसगढ़ में एक नया इतिहास रचा है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण, स्कूली बच्चे और समाज सेवा संगठन से जुड़े लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में पद्मश्री उषा बारले, राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राम सुंदर दास महंत भी शामिल हुए। यह कार्यक्रम देशभर के 16 राज्यों में आयोजित किया गया। रायपुर को मुख्य केंद्र बनाया गया, जिसमें ऑफ लाइन के साथ अन्य राज्यों से लोग ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े। जिन्हें मिलाकर लगभग 2 लाख लोग जुड़े। बता दे कि संस्था ने 2019 में 15 किलोमीटर तक तिरंगा फैलाकर पहले भी ऐसे ही इतिहास रचा है। इस कार्यक्रम में लोगों ने उत्साहपूर्वक बढ़-चढक़र हिस्सा लिया। जिसमें स्कूली बच्चे, समाज से जुड़े लोग और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम का आगाज झांकी निकाल कर किया गया और मंच पर स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी। इसके बाद सभी ने एक स्वर में राजकीय गीत अरपा, पैरी के धार भी गाया।

19 से 21 सितम्बर तक पूरी गरिमा के साथ चक्रधर समारोह का होगा तीन दिवसीय आयोजन

- जिला प्रशासन ने शुरू की तैयारियां, समारोह में शामिल होने 31 अगस्त तक स्थानीय कलाकार कर सकते है आवेदन
- पंजरी प्लांट ऑडिटोरियम में आयोजित होगा समारोह, आयोजन समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया है निर्णय

रायगढ़। चक्रधर समारोह का आयोजन पूरी गरिमा के साथ 19 से 21 सितम्बर तक पंजरी प्लांट ऑडिटोरियम में आयोजित होने जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा समारोह के आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी गई है। स्थानीय कलाकारों की इसमें प्रमुखता से सहभागिता होगी। समारोह में शामिल होने के लिए कलाकार 31 अगस्त तक कलेक्टर कार्यालय के नजरात शाखा में आवेदन कर सकते है। इसके साथ ही वे सहायक नोडल अधिकारी-चक्रधर समारोह शिव कुमार डिप्टी कलेक्टर से संपर्क कर सकते है।

उल्लेखनीय है कि राजा चक्रधर सिंह के पुत्र व विधानसभा सदस्य तथा कैबिनेट मंत्री रहे स्व. श्री भानूप्रताप सिंह के विगत 14 जून को निधन होने के कारण आयोजन समिति की बैठक विलंब से आयोजित की गई। बीते 5 अगस्त को चक्रधर समारोह के आयोजन के संबंध में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजन समिति की बैठक हुयी। जिसमें सर्वसम्मति से इस वर्ष चक्रधर समारोह का पूरी गरिमा के साथ त्रि-दिवसीय आयोजन नगर निगम ऑडिटोरियम में करने का निर्णय लिया गया। चक्रधर समारोह का आयोजन 19 सितंबर से 21 सितंबर तक किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजन के लिए सीईओ जिला पंचायत जितेन्दर यादव (भाप्रसे) नोडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं नगर निगम आयुक्त सुनील चंद्रवंशी, डिप्टी कलेक्टर रमेश मोर व डिप्टी कलेक्टर शिव कुमार कंवर को समारोह के आयोजन का सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है।

ऑनलाइन गेमिंग व कैसिनो पर 28 प्रतिशत टैक्स, जीएसटी एक्ट में संशोधन का केंद्र का प्रयास

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार शुक्रवार को लोकसभा में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को पेश करने और पारित कराने की मांग करेगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस सप्ताह की शुरुआत में दोनों विधेयकों को मंजूरी दे दी थी।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में संशोधन से घुड़दौड़, ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर की दर लागू करने की अनुमति मिल जाएगी।

इसी तरह, राज्यों को भी अपने व्यक्तिगत जीएसटी कानूनों में अलग से संशोधन करना होगा।

यदि विधेयक पारित हो जाता है, तो नई कर प्रणाली 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी, जैसा कि इस महीने की शुरुआत में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया था।

उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत लेवी 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी और छह महीने तक इसकी समीक्षा की जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो उसके बाद कर ढांचे में बदलाव किया जा सकता है।

शुक्रवार को संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दो बिल पेश करेंगी और अगर सदन की कार्यवाही जारी रहेगी, तो वह दोनों बिलों को पारित कराने का भी प्रयास करेंगी।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गेमिंग उद्योग के लगातार प्रतिनिधित्व के कारण जीएसटी परिषद को एक महीने के भीतर दो बार बैठक करनी पड़ी, इसमें गेमिंग पर 28 प्रतिशत कर स्लैब को कम करने की मांग की गई।

बदलेंगे अंग्रेजों के जमाने के 3 कानून! अमित शाह ने लोकसभा में पेश किए तीन विधेयक

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में 1860 में बने आईपीसी, 1898 में बने सीआरपीसी और 1872 में बने इंडियन एविडेंस एक्ट को गुलामी की निशानी बताते हुए इन तीनों विधेयकों की जगह लेने वाले तीन नए विधेयकों – भारतीय न्याय संहिता विधेयक-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक-2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को पेश किया। शाह के अनुरोध पर तीनों बिलों को स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया है।

शाह ने इन तीनों बिलों को सदन में पेश करते हुए कहा कि ब्रिटिश काल में अंग्रेजों की संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का उद्देश्य दंड देना था जबकि इन तीनों बिलों का उद्देश्य न्याय देना है। उन्होंने कहा कि इसमें राजद्रोह के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया है, नाम बदल कर यौन शोषण करने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान किया गया है, दोषियों की संपत्ति कुर्की का प्रावधान किया गया है, सजा माफी को लेकर भी नियम बनाया गया है। पुलिस, अदालत और वकीलों की जवाबदेही सुनिश्चित की गई है।

उन्होंने भारतीय न्यायिक व्यवस्था और दंड व्यवस्था में आमूल चूल बदलाव का दावा करते हुए कहा कि चार साल के गहन विचार विमर्श के बाद ये तीनों बिल लाये गए हैं। शाह ने इस पर और ज्यादा विचार विमर्श करने के लिए इन्हें स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव भी रखा जिसे सदन ने स्वीकार कर लिया।

ज्ञानवापी परिसर में ओए का सर्वे जारी, इमारतों के इतिहास को खंगालने में जुटी टीम

वाराणसी (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में शुक्रवार को भी एएसआई की टीम सर्वे के लिए पहुंच गई है। सर्वे में एएसआई अलग-अलग मशीनों का भी उपयोग कर रही है। नींव से लेकर इमारतों के इतिहास को खंगालने के लिए उन हिस्सों की थ्रीडी मैपिंग भी की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, ज्ञानवापी सर्वे में एएसआई टीम में कानपुर के विशेषज्ञ भी जुड़ गए हैं। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार (जीपीआर) समेत आधुनिक जांच मशीनों के साथ पहुंची टीम दीवारों के पीछे व जमीन के नीचे जांच करेगी। इनके आने के साथ ही सर्वे में शामिल सदस्यों की संख्या भी बढ़ गई है। पहले जहां 42 सदस्य सर्वे कर रहे थे अब इनकी संख्या 52 हो गई है। सर्वे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की टीम ने गुरुवार को अलग-अलग जगहों की फोटो और वीडियोग्राफी की। इसके साथ ही परिसर के अलग-अलग हिस्सों में अत्याधुनिक मशीनों की मदद से नाप-जोख भी की गई।

सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक करीब सात घंटे के सर्वे में एएसआई की टीम ने वैज्ञानिक विधि से अपनी जांच जारी रखी। ज्ञानवापी के चारों ओर स्थित मकान की छत पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहे ताकि कहीं से कोई फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अनधिकृत रूप से न की जाए।

चंद्रयान-3 के बाद चांद के सफर पर रवाना हुआ लूना-25, 21 अगस्त को हो सकती है चंद्रमा पर लैंडिंग

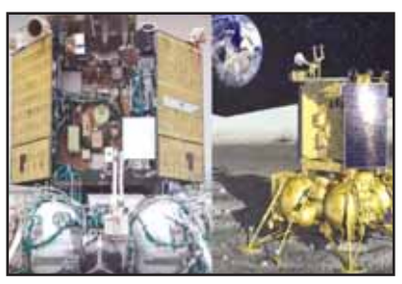

नई दिल्ली (आरएनएस)। रूस ने चंद्रमा पर कदम रखने के लिए 47 साल बाद अपना अभियान लॉन्च कर दिया है। शुक्रवार तडक़े स्थानीय समय के मुताबिक 2 बजकर 11 मिनट पर बोस्तोनी कॉस्मोड्रोम से लूना-25 को लॉन्च किया गया। रूस से पहले भारत अपने अंतिरक्ष यान चंद्रयान-3 को चंद्रमा पर भेजा गया है। दोनों ही मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना और चांद की सतह का अध्ययन करना है। रूस और भारत दोनों के यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे।

रूस ने 1976 के बाद पहली बार चंद्रमा पर अपने 'लूना-25' यान को भेजा है। इस यान का प्रक्षेपण यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की मदद के बिना किया गया। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद मॉस्को के साथ इस एजेंसी ने अपना सहयोग समाप्त कर दिया था।

रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस के प्रमुख यूरी बोरिसोव के मुताबिक, लूना का लैंडर 21 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतर सकता है। पहले इसके लैंडिंग की तारीख 23 अगस्त बताई जा रही थी। इंटरफैक्स के मुताबिक, बोरिसोव ने लॉन्च के बाद वोस्तोचन कोस्मोड्रोम में कार्यकर्ताओं से कहा, अब हम 21 तारीख का इंतजार करेंगे। मुझे उम्मीद है कि चंद्रमा पर बेहद सटीक सॉफ्ट लैंडिंग होगी। लूना-25, लगभग एक छोटी कार के आकार का है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक वर्ष तक काम करने के लक्ष्य से बनाया गया है।

लूना-25 मिशन की सफलता महत्वपूर्ण महत्व रखती है, क्योंकि रूसी सरकार का दावा है कि यूक्रेन संघर्ष के कारण पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से रूसी अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा है। ऐसे में पहली बार रूस ने अपने दम पर इस अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च किया है। फरवरी 2022 में यूक्रेन से युद्ध के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रूस की भागीदारी खत्म हो गई थी, जिसके कारण पश्चिमी देशों के साथ रूस के अंतरिक्ष-संबंधी सहयोग में काफी कमी आई।